न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 482/2018 वाद

भैरूलाल पिता उम्मेद जी सालवी, आयु 51 साल, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. हजारी पिता दल्ला खटीक, आयु 45 साल, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. भग्गु पिता वरदा सालवी, आयु 60 साल, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा.का.अधि.

श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 08.07.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा लसड़ावन की खाता संख्या 708 की आराजी नं. 2807/221 रकबा 0.3100 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 2808/236 रकबा 0.0400 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो वादी की खातेदारी में दर्ज होकर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण की आराजीयात वादीगण की आराजी के उत्तरी व पश्चिमी ओर स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण ने अपनी आराजीयात को हांकते हुए पश्चिमी तरफ तथा उत्तरी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी हाल ही में कुछ अरसा पूर्व वादी की बिमारी का फायदा उठाते हुए कब्जा कर लिया। जब वादी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने मौके पर विवाद किया और उक्त आराजीयात को स्वयं की बताया जिस पर वादी ने एक प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का अन्तर्गत धारा 128 रा.लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका मुकदमा नं. 115/2017 पड़ा जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन कर दिनांक 08.06.2017 को वादी की भूमि पर पत्थरगढ़ी करने का तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा दिनांक 06.06.2018 को मौके पर वादी की भूमि की पत्थरगढ़ी की गई, जिसमें आराजी नं. 2808/236 रकबा 0.0400 हैक्टेयर में से 0.0300 हेक्टेयर पर हजारी पिता दल्ला

खटीक का कब्जा पाया गया तथा 0.0100 हेक्टेयर भूमि पर पश्चिमी ओर भग्गु पिता वरदा बलाई का कब्जा पाया गया। इसी प्रकार आराजी नं. 2807/221 रकबा 0.3100 हेक्टेयर में पूर्वी ओर 0.1100 हैक्टेयर भूमि पर हजारी पिात दल्ला खटीक एवं पश्चिमी ओर 0.2000 हैक्टेयर भूमि पर भग्गू पिता वरदा बलाई का कब्जा पाया गया। वादी ने प्रतिवादीगण से स्वयं की भूमि पर हुए अनाधिकृत कब्जे को हटाने हेतु मौतबिरान के समक्ष निवेदन किया तो प्रतिवादीगण आग बबुला हो गये तथा मौके पर झगड़ा फसाद किया। कब्जा हटाने से इन्कार कर दिया तथा समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित अनुसार वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को सिपूर्द किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं सौंपने की सुरत में जरिये अदालत प्रतिवादीगण का जिस कदर भी अवैध अतिक्रमण हो, हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 115/2017 पत्थरगढ़ी प्रार्थना के निर्णय दिनांक 08.06.2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, तहसीलदार निम्बाहेड़ा के आदेश दिनांक 25.06.2018 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त कारूण्डा की पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट दिनांक 25.06.2018 प्रदर्श–3, पर्चा मौका ग्राम लसड़ावन की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 ग्राम लसड़ावन की खाता संख्या 708 प्रदर्श–5 प्रस्तुत किये हैं। नकल जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमि न्यायालय आदेश से वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। पत्थरगढ़ी आदेश की पालना रिपोर्ट अनुसार आराजी नं. 2808/236 रकबा 0.0400 हेक्टेयर में से 0.0300 हैक्टेयर भूमि पर हजारी पिता दल्ला खटीक तथा पश्चिमी ओर से 0.0100 हैक्टेयर पर भगु पिता वरदा बलाई का कब्जा पाया गया। इसी प्रकार आराजी नं. 2807/221 रकबा 0.3100 हैक्टेयर में पूर्वी ओर 0.1100 हैक्टेयर भूमि पर हजारी पिता दल्ला खटीक एवं पश्चिमी ओर 0.2000 हैक्टेयर पर भगु पिता वरदा बलाई का कब्जा पाया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है जबकि वादी विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार है। वादी का हिस्सा न्यायालय आदेश से वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं जिससे भी वादी के कथनों को बल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिलता है। रेकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का कब्जा प्राप्त करने तथा हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। प्रतिवादीगण अतिक्रमी साबित हुए हैं जिन्हें बेदखल कराने का वादी को पूर्ण अधिकार है। वादी का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिया जाता है कि वह नियमानुसार प्रतिवादीगण को विवादित भूमि वाके मौजा लसड़ावन की खाता संख्या 708 की आराजी नं. 2807/221 रकबा 0.3100 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 2808/236 रकबा 0.0400 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर भूमि से बेदखल करते हुए कब्जा वादी के सिपूर्द करें। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। प्रकरण फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 08.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 482/2018 वाद

भैरूलाल पिता उम्मेद जी सालवी, आयु 51 साल, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. हजारी पिता दल्ला खटीक, आयु 45 साल, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. भग्गु पिता वरदा सालवी, आयु 60 साल, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिया जाता है कि वह नियमानुसार प्रतिवादीगण को विवादित भूमि वाके मौजा लसड़ावन की खाता संख्या 708 की आराजी नं. 2807/221 रकबा 0.3100 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 2808/236 रकबा 0.0400 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर भूमि से बेदखल करते हुए कब्जा वादी के सिपूर्द करें। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें।

यह आज तारीख 08.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: